Present:- M.P.Yadava, Addl.S.J-IX, Katihar, Court No-10,
A.B.P.No. 1337/2025, G.R.Case No.- 5611/2022
Mahiruddin Khan VS. State of Bihar

न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

जनपद– कटिहार (बिहार)

A.B.P.No. 1337/2025,
Mansahi P.S. Case No.- 143/2022

1. महीरूद्दीन खान पिता समशेर खान, उ0त0 35 वर्ष
निवासी मोहल्ला– सकरपुरा, थाना– डंडखोरा,
जिला– कटिहार। ....आवेदक।

बनाम

बिहार सरकार। ....अभियोजन।
अभियोजन की ओर विद्वान अधिवक्ता अ0स0 लो0 अभि0 श्री सरदार यशवंत सिंह।
आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्री.............................रमेश प्रसाद जयसवाल।
उपस्थितिः– महेन्द्र प्रसाद यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

Date 17-04-2026 आदेश

1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 05.12.2025 को उपरोक्त अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश प्रसाद जयसवाल द्वारा सशपथपत्र नवीन वकालतनामा के साथ दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक सरदार यशवंत सिंह को प्राप्त करायी गयी है।
2. अभियोजन का संक्षिप्त केस यह है कि सूचक राकेश मिश्रा ने थानाध्यक्ष मनसाही को एक लिखित आवेदन देकर कथन किया है कि मै 1992 से अप्रवासी भारतीय हूॅ। मेरा पासपोर्ट नंबर M2955138 है। ग्राम सुदमापुरी में थाना– मनसाही, पोस्ट– सहजा, जिला– कटिहार में 2013 से ईंट भट्ठा की शुरूआत हुई जो DRM BRICKS के नाम से संस्थापित है। जिसका संस्थापक मैं हूॅ जो निलेश कुमार मिश्रा पुत्र विजय प्रताप नारायण मिश्रा और सहायक प्रबंधक सुबोध पाठक ग्राम केहुनिया, थाना प्राणपुर के प्रबंधन में 2016 अक्टूबर तक था, उसके बाद निलेश कुमार मिश्रा ने मेरे आदेशानुसार मेहरूद्दीन खान पुत्र समशेर खान ग्राम– सकरपुरा, थाना– डंडखोरा, जिला– कटिहार को प्रबंधन के लिए दे दिया गया। उस समय मौजूदा 12 लाख ईट तकरीबन 50,00,000/– रूपये का ईंट था। उसके साथ ईंट भट्ठे के सारे सामान जैसे महिंद्रा ट्रैक्टर जो कि निलेश मिश्रा के नाम से किस्त पर लिया गया था साथ में मेरे आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक का खाता नं0 000401804770NRO खाता जिसका ए0टी0एम0 कार्ड निलेश मिश्रा के पास था जो कि महरूद्दीन खान को मेरी सहमति से दे दिया। 2016 से 2018 के बीच महरूद्दीन ने प्रतिवर्ष लगभग 85,00,000/– रूपये ईंट का निर्माण हुआ जो दो वर्ष में एक करोड़ सत्तर लाख रूपया लगभग का निर्माण हुआ जिसे बेच कर महरूद्दीन ने अपने पास रखा, जिसमें नकदी और चेक के द्वारा और बैंक ट्रांसफर जो महरूद्दीन ने अपने खाते में करवाया, जिसका मुझे कोई हिसाब नहीं मिला। बार बार मेरे कहने के बाद भी कोई न कोई बहाना बता कर हिसाब के लिए टालता रहा। उसी दौरान मेरे कहने पर महरूद्दीन ने दूसरा ट्रैक्टर सोनालिका निकाला जो महरूद्दीन के नाम से निकाला गया, जिसका ट्रांसफर पेपर मेरे पास महरूद्दीन के हस्ताक्षर के साथ है, लेकिन मेरे भारत आने के बाद उसे ट्रैक्टर का कुछ पता नहीं है। इसी तरह से भिन्न–भिन्न प्रकार से महरूद्दीन ने कुल 1,45,50,000/–रूपये का धोखाधड़ी किया है।
3. अग्रिम जमानत आवेदन के बिन्दु पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश प्रसाद जयसवाल तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक सरदार यशवंत सिंह को सुना।
4. अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि आवेदक की ओर से धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदक द्वारा इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त विद्वान प्रधान सत्र न्यायालय, कटिहार अथवा मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना में कोई नियमित

webcopyofcivilcourtkatihar

जमानत आवेदन अथवा अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। सूचक द्वारा वर्ष 2016 से 19.10.2022 की घटना के लिए दिनांक 08.11.2022 को 19 दिन के विलम्ब से यह मामला दर्ज कराया गया है तथा विलम्ब का कोई कारण नहीं बताया गया है। प्राथमिकी के पारा 1 के अनुसार सूचक ने एक करोड़ सत्तर लाख रूपये का गबन 2016–18 के बीच किया, जबकि आवेदक दिनांक 22.12.2018 को एग्रीमेंट किया है। मार्च 2020 से अक्टूबर 2021 तक कोविड के चलते व्यवसाय ठप रहा। आवेदक का एग्रीमेंट 2033 तक था परन्तु कोविड 19 में सत्तर लाख रूपया का ईंट सूचक ने अपराधियों के मदद से लूट लिया, जिसकी सूचना आवेदक ने स्थानीय पुलिस को दिया था। आवेदक ने एक इन्फॉर्मेटरी पीटिशन भी विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, कटिहार के न्यायालय में दाखिल किया था। आवेदक न्यायालय की संतुष्टि पर स्थानीय जमानतदार देने तथा न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार है। अतः न्यायहित में आवेदक को जमानत पर मुक्त किया जाये।

5. विद्वान अपर लोक अभियोजक सरदार यशवंत सिंह एवं सूचक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदक के जमानत आवेदन का विरोध किया गया है।

6. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित है कि राकेश कुमार मिश्रा के टंकित आवेदन के आधार पर आवेदक के विरूद्ध मनसाही थाना कांड संख्या– 143/2022 दिनांक 08.11.2022 भा0द0वि0 की धारा 420, 406 एवं लिखत परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधानोपरान्त आवेदक के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या– 129/2024 दिनांक 25.12.2024 अन्तर्गत धारा 406, 420 भा0द0वि0 के अन्तर्गत न्यायालय में समर्पित किया गया है। न्यायालय में समर्पित आरोप पत्र के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक के विरूद्ध दिनांक 15.05.2025 को भा0द0वि0 की धारा 406, 420 के अन्तर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया तथा आवेदक के विरूद्ध समन आदेश पारित किया गया है, परन्तु न्यायालय द्वारा उक्त आदेश के अनुपालन में समन निर्गत नहीं किया गया है। कांड दैनिकी के कंडिका 96 से विदित है कि आवेदक को धारा 41(1) दंड प्रकिया संहिता के अन्तर्गत नोटिश तामिला कराकर बंधपत्र पर मुक्त किया गया है। विचारण न्यायालय में आवेदक अभिलेख पर पुलिस द्वारा बंधपत्र पर मुक्त किया गया है। विचारण न्यायालय अभिलेख पर पुलिस द्वारा मुक्त किये जाने के विरूद्ध दुरूपयोग किये जाने का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। आवेदक पर आरोप है कि उसने सूचक राकेश कुमार मिश्र के साथ एक पट्टानामा निस्पादित किया था कि वह सूचक के जमीन पर ईंट भट्ठा को सुचारू रूप से चलायेगा जिसके लिए सूचक को पांच लाख रूपया वार्षिक अदा करेगा। भट्ठा संचालन के क्रम में सूचक द्वारा उक्त पांच लाख प्रतिवर्ष के एवज में 2 चेक दिया गया, जिसे सूचक द्वारा बैंक में जमा करने पर उसका भुगतान नहीं हो सका तो सूचक ने आवेदक को भट्ठा आगे चलाने के लिए मना कर दिया, जिसके बाद आवेदक द्वारा थाना प्रभारी को आवेदन दिया गया, जिसमें भा0द0वि0 की धारा 406, 520 एवं 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया जबकि 138 पराक्राम्य लिखित अधिनियम की प्रक्रिया परिवादपत्र संस्थित करके प्रारंभ की जा सकती है। कांड दैनिकी के अनुसार उभय पक्ष उपस्थित होकर आपस में हिसाब करने पर सूचक का 70,00,000/– आवेदक के प्रति पाया गया, परन्तु आवेदक के अनुसार निलेश मिश्रा को 21,78,000/– रूपया दिया जाना शेष है। सूचक राकेश कमार मिश्रा के आदेशानुसार निलेश कुमार मिश्रा ने ईंट का प्रबंधन के लिए आवेदक को किया गया था। उभय पक्षों में सुलह हेतु मामले को मध्यस्थता केन्द्र भेजे जाने के लिए सूचक को उपस्थित होने के लिए निर्देश दिया गया, परन्तु उसकी ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए और सूचक मामले में सुलह हेतु उपस्थित नहीं हुआ, जिसके कारण अभिलेख मध्यस्थता केन्द्र नहीं भेजा जा सका। इस प्रकार स्पष्ट है कि उभय पक्षों में वर्ष 2033 तक के लिए सूचक द्वारा पांच लाख रूपया प्रतिवर्ष अदा किये जाने की शर्त पर एग्रीमेंट हुआ था, परन्तु सूचक द्वारा आवेदक को दिये गये चेक का भुगतान नहीं होने की दशा में उक्त अवधि के पूर्व ही करार भंग करते हुए मामला दर्ज किया गया है।

7. इस प्रकार उपरोक्त संपूर्ण विवेचन एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है, तदनुसार आवेदक को आदेश प्राप्त होने अथवा आदेश की तिथि से चार सप्ताह के अन्दर विद्वान विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण करने अथवा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने पर मो0 10,000/– एवं समान राशि के दो प्रतिभू का बंधपत्र, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 482(2) में

Web copy of Katihar Court

वर्णित उपबंधों के पालन के वचनपत्र दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

1. आवेदक का एक जमानतदार परिवार का सदस्य अथवा नजदीकी संबंधी होगा।
2. आवेदक इस आशय का शपथ पत्र दाखिल करेगा कि वह मामले के विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा तथा प्रत्येक तिथि को न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेगा।
3. आवेदक के निरंतर दो तिथियों तक पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय को अधिकार होगा कि वह उसका बंधपत्र खारिज कर दे।

कार्यालय लिपिक आदेश की प्रति संबंधित विद्वान विचारण न्यायालय को भेजें तथा अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

(महेन्द्र प्रसाद यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

Date of order	17-04-2026
Date of reserving order	17-04-2026
Uploading Date	
Uploaded by	

Web Copy of civil court, Katihar